# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या –1552/2009/अलवर. 2. अपील संख्या –1551/2009/अलवर. 3. अपील संख्या – 240/2010/अलवर.

अपील संख्या – 241/2010/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-'ए-, भिवाड़ी, अलवर. बनाम

मैसर्स जैमिनी विनायल प्रा0 लि0, इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी.

.....प्रत्यर्थी.

.....अपीलार्थी.

खण्डपीठ

### <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अभिभाषक श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से. .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/07/2017

# निर्णय

 ये सभी अपीलें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2016 प्रकरण संख्या एस.बी. सेल्स टैक्स(वैट) रिवीजन पिटीशन संख्या 92/2014, 145/2013, 93/2014 एवं 97/2014 में प्रदत्त आदेशों के अनुसरण में प्रकरणों को पुनः निर्णीत करने के फलस्वरूप निर्णयार्थ ली जा रही हैं। इन चारों प्रकरणों में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने आदेश दि. 03.01.2013 द्वारा विभाग की अपीलों को स्वीकारते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—'ए', भिवाड़ी के आदेश दि. 24.03.2007/24.03.2008 को यथावत रखा एवं उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 04.05.2009/10.08.2009 को अपास्त किया।
प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने दि. 02.07.2004 से पी.वी.सी. एवं कॉटन कोटेड फेब्रिक्स का निर्माण कर विक्रय करना प्रारम्भ किया। प्रत्यर्थी ने इस उत्पाद को करमुक्त मानकर विक्रय कर अदा नहीं किया है। कर निर्धारण सम्बन्धी जांच में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत—'ए', भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण

अधिकारी'' कहा जायेगा) ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.6.2003 के अनुसार कॉटन कोटेड फेब्रिक्स को 1 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए निम्न तालिकानुसार वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के कर निर्धारण आदेश पारित किये जाकर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया :-

अपील	अपीलीय	क.नि.आ.	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि ₹ में)			योग	
संख्या	आदेश दि0	दिनांक	<b>फ.</b> । <b>ग.</b> ५५	कर	ब्याज	शास्ति	ЧЧ	
1552/09	4.5.09	24.3.07	04-05 (RST)	6,396	1,919	-	8,315	
1551/09	4.5.09	24.3.07	04-05 (CST)	25,88,500	7,76,550	-	33,65,050	
240/10	10.8.09	24.3.08	05-06 (CST)	67,33,286	19,52,653	15,650	87,01,589	
241/10	10.8.09	24.3.08	05-06 (RST)	7,912	2,294	3,164	13,370	

 इन सभी अपीलों में तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 82 के तहत अपीलें प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेशों के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1551, 1552/2009 एवं 240, 241/2010 अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई, जिनका निस्तारण करते हुए कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने विभाग की अपीलों को एकपक्षीय सुनवाई करते हुए

लगातार......2

# – 2 – अपील संख्या –1551 व 1552/2009 एवं 240 व 241/2010/अलवर

स्वीकार किया। माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 03.01.2013 में सारांशतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के अनुरूप प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विकीत वस्तुओं पर राज्य के भीतर 1 प्रतिशत कर देयता को उचित ठहराया। अपने आदेश में खण्डपीठ ने उल्लेख किया कि दिनांक 3.5.1995 से Textile Fabrics impregnated, rubberized, coated, covered or laminated and conveyor belts & belting पर कर दर 2 प्रतिशत अधिसूचित की थी, जो कि अधिसूचना दिनांक 22.3.2002 में भी जारी रही। इस प्रविष्ठि को दिनांक 3.5.95 की अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफडी / ग्रुप–IV / 95–49 दिनांक 27.3.95 में प्रविष्टि संख्या 15 में संशोधन करते हुए शामिल किया गया है। प्रविष्टि संख्या 15 इस प्रकार है :–

"Goods as described in the First Schedule appended to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (as amended from time to time), on which additional excise duty is not leviable, such as textile articles and clothing accessories including Blankets (other than of Wool), Handkerchiefs, Shawls, Scarves, Mufflers, Bed-Sheets, Bed linen, Table linen, Curtains, Towels, **Textile Fabrics impregnated**, **rubberized**, **coated**, **covered or laminated** and conveyor belts or beltings etc. ...... 2%"

तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15.3.96 द्वारा प्रविष्ठि संख्या 13 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1957 की शर्त को हटाते हुए प्रविष्ठि इस प्रकार अधिसूचित की गई है :--

आलौच्य अवधि से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 99 पार्ट–6 दिनांक 28.6.2003 द्वारा उक्त वस्तुओं पर कर दर 1 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी। दिनांक 28.06.2003 की अधिसूचना के अनुरूप 1 प्रतिशत कर दर मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत 1 प्रतिशत कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया एवं वार्षिक विवरण प्रपन्न प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई थी तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में "सी" प्रपन्न का अभाव मानकर, कर व ब्याज आदि आरोपित किया गया था, को अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.01.2013 द्वारा अपास्त कर दिया। जिसकों उपरोक्त विवेचन के अनुसार कर बोर्ड में अपने आदेश दिनांक 20.11.2016 के द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को पुर्नस्थापित कर दिया गया।

 कर बोर्ड के उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रिवीजन प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसटीआर संख्या 92/2014, 145/2013, 93/2014 एवं 97/2014 निर्णय दिनांक 20.11.2016 में निम्न प्रकार निर्देश पारित किये गये है :--

"It is noticed that the petitioner has relied upon several notifications, however, the same appears to have not been properly taken into consideration by the tax Board while passing the impugned order, which is even otherwise without hearing the petitioner.

Without going into merits of the case as it may not be appropriate that the matter is remanded back to the Tax Board to re-decide the issue afresh in accordance with law, and pass an appropriate order after hearing counsel for the parties."

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने उपर्युक्त आदेशों के द्वारा प्रकरणों को कर बोर्ड को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश प्रदान किये कि कर बोर्ड प्रकरणों में संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं को मध्यनजर रखते हुए एवं उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना विस्तृत निर्णय आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर करें।

लगातार......3

# - 3 - अपील संख्या -1551 व 1552/2009 एवं 240 व 241/2010/अलवर

6. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 7. विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.3.2002 एवं 28.6.2003 पर गौर नहीं किया है, जिनमें कॉटन कोटेड फेब्रिक्स पर 1 प्रतिशत से कर उद्ग्रहणीय है। ये अधिसूचनायें अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गयी हैं तथा इनमें कर दर विहित की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विधि का यह मूल सिद्धान्त है कि जब तक कोई अधिसूचना या नियम या धारा सक्षम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक (ultra virus) घोषित नहीं की जाती, तब तक प्रभावी रहती है। राज्य सरकार ने इन अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के तहत कर, शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 03.01.2013 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा Cotton Coated Fabrics टेरिफ हेड 5903-10 का विक्रय किया जाता है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(67)एफडी / टैक्स / 2004–78 दिनांक 22.07.2004 एवं एफ.12(20)एफडी / टैक्स / 2005–175 दिनांक 24.03.2005 द्वारा बिना शर्त के कर मुक्त है। व्यवहारी के प्रकरण वित्तीय वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 से संबंधित है, जिससे उस पर उक्त अधिसूचनाओं के आलोक में किसी भी प्रकार के कर दायित्व की जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसके समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न उद्धरण भी प्रस्तुत किये :–

- 1. [2010] 34 VST 84(P&H) [IN THE PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT] State of Haryana Vs Crown Agencies Pvt. Ltd. May 15, 2009
- 2. [IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE] Bharat Textile and Proofing Industries Vs State of Karnataka April 18/19, 1988.
- 3. [2006] 147 STC 211(SC) [IN THE SUPREME COURT OF INDIA] Reliance Trading Company Vs State of Kerala March 30, 2006.
- 4. [IN THE MADRAS HIGH COURT] STATE OF TAMIL NADU Vs BINNY LIMITED September 10, 1997.
- 5. 1981-(ST2) GJX-0209-ALL The Commissioner Sales Tax Vs Arora Material Store Dated 05-11-1981
- 6. FENOPLAST vS STATE OF A.P. 1998-(ST2) GJX-0243-SC Dated 15-09-1988
- [2008] 11 VST 79 (All) [IN THE ALLAHABAD HIGH COURT] Commissioner Sales Tax, U.P. Lucknow Vs Laxmi Leather Cloth Industries Pvt. Ltd. December 9, 2003.
- 8. [IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE] BHARAT VIJAY MILLS LTD. VS COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES JANUARY 4, 1991.
- 9. (1991) 10 RTJS 14 Rajasthan High Court Bench Jaipur M/s Navbharat Industries Vs Additional Commissioner C.T. Jaipur(3) March 19, 1991.
- (1990) 10 RTJS 18 Rajasthan Sales Tax Tribunal, Ajmer Ms Radio Center Sriganganagar Vs Asstt. Commercial Taxes Officer Sriganganagar. March 30, 1991.

11. (1991) 10 RTJS 9 Rajasthan High Court Jaipur Asstt. Commercial Taxes Officer Vs Ms Shiv Shakti Gold Finger (2) April 18, 1991.

उन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 03.01.2013 में व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया एवं उक्त अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 को नजरअंदाज करते हुए अपना विस्तृत आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से निरस्तनीय योग्य है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....4

# - 4 - अपील संख्या -1551 व 1552/2009 एवं 240 व 241/2010/अलवर

 उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत उद्धहरण एवं रिकार्ड के तथ्यों पर नये सिरे से मनन किया गया।

10. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में स्पष्ट है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 20.11.2016 में कतिपय राज्य सरकार की अधिसूचना पर विचार नहीं किया गया था। इस संबंध में विभिन्न जारी उपर्युक्त वर्णित अधिसूचनाओं के अतिरिक्त निम्न अधिसूचनाओं का उल्लेख करना उचित होगा :--

### "No.F4(67)/FD/Tax/2004-78 dated 23.7.2004, pub. 23.7.2004

S()119- In excise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994 the State Govt. [1] hereby exempts from tax under the said Act, the sale or the purchase of cotton fabrics, fabrics made from man made fibre and woolen fabrics." নথা

#### "F.12(20)FD/Tax/2005-175 dated 24.03.2005

S.No. 383 In exercise of the powers conferred by section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995) and in supersession of all the unconditional exemption notification related to the goods mentiond in the List appended hereto the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do hereby unconditionally exempts from tax under the said Act, the sale or purchase of the goods mentioned in the appended List."

"58. Cotton fabrics fabrics made from man made fibre and woollen fabrics."

उक्त दोनों अधिसूचनाऐं विवादित अवधियों के कर निर्धारण से संबंधित है। स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के समक्ष तत्समय उक्त अधिसूचनाऐं प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त अधिसूचना दिनांक 23.07.2004 एवं 24.03.2005 के अनुसार कॉटन फैब्रिक्स तथा मानव रेशों से निर्मित फैब्रिक व उनी फैब्रिक विवादित अवधि में बिना शर्त कर मुक्त हैं।

11. अब प्रश्न यह है कि क्या Textile Fabrics impregnated, rubberized, coated, covered or laminated and conveyor belts or beltings उक्त अधिसूचनओं से आच्छादित है या नहीं? इस संबंध में केन्द्रीय विकय कर अधिनियम की धारा 14 के क्लॉज (iia) को उद्धरित करना उचित होगा जो निम्न प्रकार से है :--

"14. Certain goods to be of special importance in inter State trade or commerce-

It is hereby declared that the following goods are of special importance in inter state trade or commerce:-

[iia] <u>cotton fabrics</u> covered under heading Nos. 52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, [58.06], 59.01, <u>59.03</u>, 59.05, 59.06, and 60.01 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)"

सैन्ट्रल एक्साइज टेरिफ हेड के टैरिफ आइटम 5903 जिसका प्रावधान केन्द्रीय विकय कर अधिनियम की धारा 14 [iia] में किया गया है, निम्न प्रकार से प्रावधित है :--

टेरिफ आइटम वस्तुओं का विवरण

इकाई शुल्क की दर

5903		Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902		
5903	10	-With ployinyl chloride	2	

5903 10 10	Imitation leather fabrics of cotton	m	12%
		m <sup>2</sup>	12%

केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या 32/2004 दिनांक 09.07.2004 इस प्रकार से है :--

"Exemption from Additional duty to goods or seecified headings of Chapters 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59 and 60.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additiona Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods -5 - 34 पील संख्या -1551 व 1552/2009 एवं 240 व 241/2010/34 erg falling within the heading Nos. 50.05, 51.10, 51.11, 52.07, 52.08, 52.09, 54.06, 54.07, 55.11, 55.12, 55.13, 55.14, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 59.01, 59.02, 59.03, 59.07, 60.01 and 60.02 of the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 from whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act."

12. इसके अतिरिक्त टेरिफ हैड 5903 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाना भी समीचीन होगा 71 STC page 10 Bharat Textile and Proofing Industries Vs State of Karnataka April18/19, 1988 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है

"The very same reasoning given by the Gujarat High Court for exempting tarpaulin from Sales Tax under the Gujarat Act would apply to the P.V.C. rexine cloth also because that cloth comes within the menaing of the word "cotton fabrics" under the amended definition of tariff item No. 19 of the Excise Act."

"In the circumstances, we are of the view that the High Court was wrong in denying exemption from sales tax under the KGST Act to the cotton based tarpaulin manufactured by the appellant."

इसके अतिरिक्त माननीय आंध्रपेदश उच्च न्यायालय ने State of Andhra Pradesh Vs Binny Ltd. [1992] 86 STC 207 (AP) में अभिनिर्धारित किया है :--

"An examination of the meaning given to "cotton fabrics" in entry 19 of the Central Excise and Salt Act reveals that it is an inclusive definition and takes in not only all varieties of fabrics manufactured either wholly or partly from cotton but also includes fabrics impregnated or coated or laminated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials. The word 'includes' is used while defining "cotton fabrics" in order to enlarge the meaning of the said expression."

माननीय आंध्रपेदश उच्च न्यायालय ने 1998(ST-2) GJX-0243-SC Fenoplast Vs State of A.P. Dated 15.09.1998 में निम्न व्यवस्था दी है :--

"The explanation to the Fourth Schedule of the State Sales Tax Act makes it clear that the expressions used in item 5 thereof have the meaning that is assigned to them in the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957. The works "cotton fabrics" manmade fabrics and woolen fabrics in item 5 must, therefore, be read in the light of item 59.03 of the First Schedule to the said Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 which refers to <u>"textile fabrics,</u> <u>impregnated cloth - corvered or laminated.</u>" The appellants product, rexine cloth, is covered by item 59.03 and the appellants were, at the relevant times, liable to pay and paid additional duties of excise. Under the Addittional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957. By reason of section 8 of the State Sales Tax Act, therefore, they were exempt from tax thereunder in respect of their rexine cloth. The inclusion of item 174 in the First Schedule to the State Sales Tax Act could make no difference to this position."

13. उपरोक्त माननीय न्यायालयों के निर्णयों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप Textile Fabrics impregnated, rubberized, coated, covered or laminated and conveyor belts or beltings कॉटन फैब्रिक्स में सम्मिलित है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.07.2004 के अनुसार कॉटन फैब्रिक्स तथा मानव रेशों से निर्मित फैब्रिक व उनी फैब्रिक कर मुक्त हैं एवं दिनांक 24.03.2005 की अधिसूचना के अनुसार पुनः राज्य सरकार ने धारा 15 के तहत अधिसूचना जारी की। तदनुरूप अधिसूचना दिनांक 23.07.2004 एवं 24.03.2005 में वर्णित उपरोक्त वस्तुऐं बिना शर्त कर मुक्त की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत पी.वी.सी. कोटेक फैब्रिक्स एवं कॉटन कॉटेड फैब्रिक्स की राज्य के भीतर बिक्री पर अधिसूचना दिनांक 28.06.2003 के अनुसार राज्य में 1 प्रतिशत

लगातार......6

# - 6 - अपील संख्या -1551 व 1552/2009 एवं 240 व 241/2010/अलवर

की दर से करारोपण किया गया है वह अनुचित था जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेशों से उक्त करारोपण को उचित ही अपास्त कर दिया। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में अपील संख्या 1552/09 एवं 241/10 जो वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के राजस्थान विकय कर अधिनियम के कर निर्धारण वर्ष से संबंधित हैं में सृजित मांग राशि में कर, ब्याज व शास्ति पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

14. जहां तक केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 1551/09 एवं 240/10 का प्रश्न है इस संबंध में केन्द्रीय विक्रय कर की धारा 8(2) निम्न प्रकार से प्रावधित है :--

"8. Rates of tax on sales in the course of inter State trade or commerce-

(1).....

(2) The tax payable by any dealer on his turnover in so far as the turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-state trade or commerce not falling within sub-section

(1)(a) in the case of declared goods, shall be calculated at twice the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State.

(b) in the case of goods other than declared goods, shall be calculated at the rate of ten per cent or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State, whichever is higher; and

(c) in the case goods, the sale or as the case may be the purchase of which is under the sales tax law of the appropriate State, exempt from tax generally shall be nil, and for the purpose of making any such calculation under caluse (a) or clause (b), any such dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate state, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

Explanation. For the purpose of this sub-section a sale or purchase of any goods shall not be deemed to be exempt from tax generally under the sales tax law of the appropriate State if under that law the sale or purchase of such goods is exempt only in specified circumstances or under specified conditions or the tax is levied on the sale or purchase of such goods at specified stages or otherwise than with reference to the turnover of the goods."

15. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(2)(सी) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपयुक्त राज्य (Appropriate State) के विक्रय के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन वस्तुओं की खरीद और बिक्री करमुक्त है, तो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत इन वस्तुओं की अन्तरप्रान्तीय बिक्री पर कर दर शून्य होगी। चूंकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.07.2004 एवं दिनांक 24.03.2005 के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुऐं राज्य के भीतर बिना किसी शर्त कर मुक्त है अतः अन्तरप्रान्तीय व्यवसाय के क्रम में की गई बिक्री पर भी कर शून्य होगी। तदनुरूप केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत वर्ष 2004 एवं 2005 में आरोपित कर एवं "सी" प्रपन्नों के अभाव में सृजित अन्तर कर राशि, ब्याज व शास्ति निरस्त किये जाने संबंधी अपीलीय आदेश दिनांक 04.05.2009 एवं दिनांक 10.08. 2009 की पृष्टि की जाती है।

16. उपरोक्त विवचेनानुसार अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय, सुनाया गया।

( मदन लाल<sup>(</sup>मालवीय ) सदस्य

निन्ने 2017 मदन लाल )

सदस्य